सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पराविं/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/ट्रेप/शाहबाद/बारां/2019/2315 जयपुर दिनांकः– 19/12/2019

–: आदेश :–

श्री राहुल कुमार बैरवा, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद जिला बारां को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 2.12.19 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7, 7ए एवं भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत धारा 120 बी के तहत अपराध संख्या 359/2019 दर्ज कर तफतीश जारी की गयी है।

अतः श्री बैरवा को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 2.12.2019 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात अविलम्ब अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत करेगें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 19.9.2013 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, कोटा।
8. उप महानिरीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2019/2692–96 दिनांक 5.12.19 के क्रम में सूचनार्थ।
9. जिला कलक्टर, बारां।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहबाद (बारां)।
12. श्री राहुल कुमार बैरवा, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद (बारां) को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(गौरव चतुर्वेदी)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)